(ख) क्या 55 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् सेवा अवधि बढ़ाने के लिये शिक्षा प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं के प्रबन्धकों को आवेदन पत्र देना पड़ता है;

(ग) क्या प्रबन्धकों को अपने स्तर पर ऐसे आवेदन पत्र मांगने का अधिकार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या शिक्षा विभाग उन प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है जो अपने स्तर पर ऐसे आवेदन पत्र मांगते हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सहायता-प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 60 वर्ष है। किन्तु किसी भी कर्मचारी को 55 और 60 वर्ष की आयु के बीच किसी समय भी अकुशलता, अक्षमता अथवा शारीरिक अस्वस्थता के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे प्रस्तावित सेवानिवृत्ति के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान किया गया हो और उसके प्रतिवेदन पर, यदि कोई हो, समुचित विचार किया गया हो।

(ख) अध्यापक से ऐसे किसी आवेदन-पत्र पेश करने की मांग नहीं की जाती है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी समितियों के लिये भूमि

4000. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा मकान निर्माण विभाग ने काफी मकान निर्माण सहकारी समितियों को, जो 1960 में या उसके पश्चात् बनी हैं, पिछले महीने भूमि नियत की है और उन्हें 3 फरवरी, 1966 तक भूमि की आधी कीमत देने के लिये भी कहा गया है जबकि ऐसी बहुत सी समितियों को जो 1960 से भी पहले दर्ज की गई थीं कोई भूमि नियत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं; और

(ग) इन शेष समितियों के लिये भी कब भूमि नियत कर दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या L. T. —6095/66]

साहित्य रत्न की उपाधि

4001. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (हिन्दी विश्वविद्यालय), प्रयाग की 'साहित्य रत्न' की उपाधि को बी० ए० आनर्स के बराबर माना है (देखिये प्रेस अधिसूचना संख्या एफ० 7-15/64-एच० 1, दिनांक 5 दिसम्बर, 1964) जबकि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने उस उपाधि को ऐसी मान्यता नहीं दी है [देखिये दिल्ली शिक्षा निदेशालय के जनरल सेक्शन का परिपत्र संख्या डी० ई० 65(4)/जन-65, दिनांक 25 अगस्त, 1965]

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में सभी हिन्दी अध्यापकों को 170 रुपये से आरम्भ होने वाला वेतनक्रम न दिये जाने के क्या कारण हैं हालांकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 'साहित्य रत्न' की उपाधि बी० ए० आनर्स के बराबर है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). प्रैस नोट द्वारा केवल कुछ